न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 41/2021 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार पुत्र स्व. श्री शेर सिंह यादव, नि0 34 अल्कापुरी–ए, मुरलीपुरा जयपुर–302039, प्र.अ. राजस्व/भू.अभिलेख

GCMS No-2021/82

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.7.2021	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार, प्रभारी अधिकारी राजस्व/भू0अभिलेख अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत दिनांक 8.2.2021 को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जो अति0 जिला कलेक्टर स0मा0 के पत्रांक एफ.2(28)सूकाअ/2021/367 दिनांक 15.2.2021 को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/भू0अभिलेख अनुभाग को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया:–

1. श्रीमति राजरानी यादव द्वारा दिनांक 9.12.2020 को जरिये ई–मेल जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तहसीलदार खण्डार द्वारा सेवती धर्मपुरी लिंक रोड़ के 1998–2000 मे निकलने व मुआवजा देने के बाद भी ख0न0 537,538,539 वगै. की खातेदारी सा.नि.वि. के नाम नही करने बाबत प्रेषित परिवाद एवं परिवाद पर की गयी कार्यवाही मय नोटशीट की प्रमाणित प्रति।
2. परिवादिया श्रीमति राजरानी यादव पत्नि श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा राजस्थान सम्पर्क (181) पर प्रस्तुत परिवाद संख्या 01212119220516 एवं 01212119220273 पर क्रमशः दिनांक 5.2.2021 एवं 3.2.2021 को तहसीलदार खण्डार/उपजिला कलेक्टर खण्डार एवं स्टाफ द्वारा की गयी कार्यवाही मय 91 एलआर एक्ट के तहत जारी नोटिस बाबत गै0मु0 तालाब एवं तलाई क्रमश ख0न0 172 एवं 799/503 एवं 800/503 बाबत की गयी कार्यवाही की प्र.प्रति।
3. दिनांक 25.1.2021 को मा0मुख्यमंत्री महोदय राज0 जयपुर के कार्यालय द्वारा ख0न0 544/1 ग्राम दोलतपुरा तहसील खण्डार की तरमीम बाबत जिला कलेक्टर स0मा0 को प्रेषित परिवाद मय की गयी कार्यवाही, जॉच रिपोर्ट की प्र0प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/भू0अभिलेख अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/भू0अभिलेख अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक रीडर/21/1673 दिनांक 22.6.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 2 की सूचना कुल 61 पृष्ठो की अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा कराने के उपरान्त जरिये पत्रांक रीडर/21/1138 दिनांक 31.3.2021 एवं 1657 दिनांक 17.6.2021 से जरिये रजिस्टर्ड डाक एवं अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। प्र0अ0 राजस्व अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 849 दिनांक 6.7.2021 से अवगत कराया जा चुका है कि चाही गयी सूचना का संबंध राजस्व अनुभाग से नही होने कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के [illegible] ता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रा[illegible]नांक 8.2.2021 में चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 2 की सूचना त[illegible]रिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी करवायी जा चुकी है तथा रा[illegible] नही है। [illegible]ख्या 1 व 3 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध [illegible] प्र0अ0 भू0अभिलेख अनु[illegible] निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दु की सूचना अपीलान्ट [illegible] 15 दिवस मे निःशुल्क [illegible] करावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:42:39 IST
Reason: SelfAttested